रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355 / 79
डाक पंजीकरण संख्या :– के पी सिटी– 67 / 2021–23

अधिकार किसको जानने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.dhr.gov.in लॉगिन कर क्लिक करें अल्टरनेटिव मेडिसिन तथा गज़ट पढ़ने हेतु log in करें www.behm.org.in

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127 / 204 'एस' जूही, कानपुर–208014
सम्पर्क सूत्र :– 9450153215 , 9415074806 , 9415486103

वर्ष – 44 ● अंक – 17 ● कानपुर 1 से 15 सितम्बर 2022 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य ₹ 100

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसि, उ0प्र0 से पंजीकृत चिकित्सक अधिकार से करें प्रैक्टिस

जब प्रैक्टिस का है पूर्ण अधिकार तो काहे का डरना

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ ज़िलों से पिछले कुछ हफ़्तों से तमाम तरह की बातें उभर कर आ रही हैं कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक संस्थाओं द्वारा तरह–तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं, अधिकारिता को लेकर सवाल उठाये जा रहे हैं, बड़े–बड़े दावे किये जा रहे हैं कि प्रदेश में सिर्फ़ किसी एक संस्था को ही अधिकार प्राप्त है और उन्हीं के चिकित्सकों को चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार प्राप्त है।

सत्य तो यह है कि जब से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्षेत्र की अग्रणी संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के लिए 4 जनवरी, 2012 को जो आदेश आया तभी से इसकी की योग्यता के बारे में तरह–तरह के भ्रम फैलाये जा रहे हैं, चिकित्सकों के मध्य यह बताने का प्रयास भी किया जा रहा है कि सिर्फ़ दिल्ली की किसी एक संस्था को ही अधिकार प्राप्त है और उसके

शेष पेज 3 पर

बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0 एच0 इदरीसी एवं रजिस्ट्रार डा अतीक अहमद कार्यालय राजधानी में बोर्ड से सम्बद्ध इलेक्ट्रो होम्योपैथिक इन्सटीट्यूट / मेडिकल इन्सटीट्यूट / स्टडी सेन्टर्स के प्रमुखों से इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वर्तमान स्थिति पर चर्चा करते हुये – छाया गज़ट

निर्णायक समय

इलेक्ट्रो होम्योपैथी बहुत समय से दुविधा भरी स्थिति से गुज़र रही है इस पद्धति के नेतृत्वकर्ता आज तक कोई भी ऐसा निश्चित निर्णय नहीं ले पाये जिससे कि सकारात्मक परिणाम नहीं आ पा रहे हैं फलस्वरूप दुविधा की स्थिति अन्त होने का नाम नहीं ले रही है यह अवस्था किसी भी तरह से ठीक नहीं है क्योंकि दुविधा ग्रस्त व्यक्ति या समाज कभी भी अपनी पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं कर पाता है और बिना मनोयोग, अधूरी क्षमता से किये गये कार्य कभी भी पूर्ण फलदायी नहीं होते हैं।

वर्तमान में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति की स्थिति स्पष्ट और पारदर्शी है जो आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए उपलब्ध हैं वह कार्य करने की पूरी छूट देते हैं और अधिकारपूर्वक कार्य करने का अवसर भी प्रदान कर रहे हैं यह व्यवस्थाओं की बात है कि हर प्रदेश की अपनी अलग अलग कानूनी व्यवस्था होती है, जिस राज्य में हमें कार्य करना होता है उन्ही कानूनों का पालन करते हुए हम कार्य कर सकते हैं, परन्तु पता नहीं क्यों हमारे साथियों को इन सब बातों पर विश्वास नहीं हो पा रहा है, विश्वास न होने के दो ही स्पष्ट कारण नज़र आते हैं प्रथम तो यह हो सकता है कि वह लोग समग्र अधिकारिता के स्थान पर व्यक्तिगत अधिकारिता को ज़्यादा प्रमुखता दे रहे हैं या दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि स्वयं को अधिकारविहीन मानकर मात्र अपने अस्तित्व को दर्शाने के लिए तरह–तरह के यत्न करते रहते हैं, अधिकार पाने के लिए यत्न करना बुरी बात नहीं है लेकिन यत्न ऐसे हों जिनका लाभ स्वयं को भी मिले और चिकित्सा पद्धति भी पुष्पित व पल्लवित हो, जब ऐसा होगा तो जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थापना का प्रयास कर रहे हैं उनका कार्य और सरल हो जायेगा, परन्तु यह तभी सम्भव है जब हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी को व्यक्तिगत न मानकर सार्वजनिक रूप में स्वीकार करें, कटु सत्य तो यह है कि तमाम उतार चढ़ाव देखने के बाद भी हमारे साथियों की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आ पा रहा है, क्योंकि वह लोकतन्त्र को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं ऐसा नहीं है कि वह हमारी सोच से एकरूपता नहीं रखते हैं उनकी सोच भी एक है, लक्ष्य भी एक है, लेकिन लक्ष्य पाने के लिए जो कुछ भी किया जा रहा है वह वर्तमान परिस्थितियों में लाभकारी नहीं सिद्ध हो पा रहा है, अपने आप को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के मंच पर कार्य करते हुए दिखायी देने के लिए इस तरह के कार्य हमारे साथियों द्वारा किये जाते है, मान्यता का विषय हम सब के लिए उतना ही आवश्यक है जितना कि अन्य लोगों के लिए लेकिन मान्यता के लिए जो रास्ता अपनाया जा रहा है इस समय उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आवश्यक है।

25 नवम्बर, 2003 के आदेश में भारत सरकार ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं देगी, जिस 25 नवम्बर, 2003 के आदेश से पूरे देश में भ्रम की स्थिति पैदा हो गयी थी आज वही आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कार्य करने का रास्ता बता रही है, कार्य ऐसा और इतना किया जाये कि विभागीय अधिकारी इस बात पर स्वयं विचार करें कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने में अब और देर नहीं लगायी जानी चाहिये, किये हुए कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं होते हैं हमें सकारात्मक परिणामों से प्रेरणा लेनी चाहिये, योग सदियों से भारत वर्ष में प्रचलित है जैसे ही बाबा रामदेव ने योग के चमत्कारिक परिणामों को दुनिया के सामने रखा दुनिया चकित रह गयी और परिणाम आप सब के सामने है योग को मान्यता दिलाने के लिए न तो कोई आन्दोलन किया गया और न ही धरने प्रदर्शन किये गये मात्र अपनी क्षमता के बल पर योग को राष्ट्रीय ही नहीं अपितु अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान प्राप्त हुआ, यहां कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य से हर चीज़ सिद्ध हो जाती है जहां तक राजनैतिक दबाव की बात है, राजनैतिक सहयोग लेना चाहिये साथ–साथ यह भी ध्यान रखना चाहिये कि हम जिन राजनैतिज्ञों से मिलते हैं उनके सामने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की ऐसी छवि प्रस्तुत करें कि सामने वाला व्यक्ति इस चिकित्सा पद्धति से स्वयं प्रभावित होकर मान्यता सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वतः आगे बढावे।

भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय की कार्यवाही लगभग अंतिम चरण में है, हम सभी को मिलकर ऐसा प्रयास करना चाहिये कि समिति द्वारा वांछित की पूर्ति सहज व सुलभ हो जाये, समय की मांग है कि इस समस्या का समाधान सुगमता से हो जाये।

क्योंकि वस्तुतः यह एक निर्णायक समय है।

सावधान

आपकी एक छोटी सी गलती गम्भीर परिणाम दे सकती है

गलती गलती ही होती है छोटी हो या फिर बड़ी, अक्सर लोग यह कहते हैं कि अरे छोड़ें भी ! यह तो छोटी सी गलती है लेकिन जो लोग छोटी गलती को नज़रन्दाज़ करते हैं उन्हें अपनी गलती की वास्तविकता का एहसास नहीं होता है।

कभी कभी एक छोटी सी गलती बहुत गलत परिणाम दे जाती है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लोग लगातार ऐसे ही कार्य कर रहे हैं जो कि कहीं न कहीं से गलतियों की श्रेणी में आते हैं इसका जीता जागता उदाहरण है कि यह सर्वविदित है कि चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए व्यक्ति को जिस राज्य में चिकित्सा व्यवसाय करना है उसे उसी राज्य में अपनी परिषद में पंजीकरण कराना होता है और पंजीकरण के बाद उस राज्य के प्रचलित कानूनों का पालन करते हुए ही कार्य करना पड़ता है लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में कुछ ऐसे कार्य किये जा रहे हैं जो स्वीकारणीय नहीं हैं बहुत सारी ऐसी संस्थायें हैं जो अपना मुख्यालय और कार्य क्षेत्र दिल्ली बताते हैं प्रमाण पत्र भी केन्द्रीय देते हैं और चिकित्सक से कहते हैं कि आप पूरे देश में प्रैक्टिस कर सकते हैं।

अपनी बात को सिद्ध करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला भी देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के यह आदेश किन परिस्थितियों में हुये इसका अन्दाज़ा हमारे सीधे–सादे चिकित्सकों को नहीं होता है और वह भ्रमजाल से बाहर नहीं निकल पाते हैं परिणामतः उन्हें प्रैक्टिस के दौरान कई तरह की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, यह किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है, इसी तरह उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में तरह–तरह के भ्रम फैलाये जाते हैं उत्तर प्रदेश में कार्य करने के लिए एक न्यायालीय आदेश के पालन में सरकार द्वारा यह निश्चित किया गया है कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले हर चिकित्सक को निश्चित अर्हता के साथ अपने परिषद में पंजीयन के साथ–साथ जिस जनपद में चिकित्सा व्यवसाय करना है उस जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय/क्षेत्रीय आयुर्वेदिक/ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी/ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में पंजीयन के लिए आवेदन करना आवश्यक है, पंजीयन का आवेदन देने के लिए जब इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को सूचित किया गया हर चिकित्सक इस सूचना से वंचित न रहे इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया तो हमारे साथी पहले तो इस अभियान का विरोध करने लगे फिर धीरे–धीरे विरोध से उपहास में उतर आये और चिकित्सकों को समझाने लगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को अभी मान्यता नहीं मिली है इसलिए ज़िला पंजीयन की आवश्यकता नहीं है।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ढाल बनाया गया हम इस बात से इंकार नहीं करते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट हमें कार्य करने की अनुमति देता है लेकिन अनुमति के बाद भी कार्य करने के लिए जो नियम हैं उनका पालन तो हमें करना ही होगा, यह ऐसे समझा जा सकता है कि प्रदेश में नियम है कि दो पहिया वाहन चलाने के लिए हेल्मेट लगाना आवश्यक है अब यह हर वाहन चालक का दायित्व है कि इस नियम का पालन करे जो आदमी इस नियम का पालन नहीं करता है चेकिंग के दौरान उसका चालान हो जाता है ठीक इसी तरह से जब कभी भी कोई सक्षम अधिकारी किसी चिकित्सक की जांच करता है तो वह हर बिन्दु पर जांच करते हुए यह अवश्य पूछता है कि क्या आपने अपने अपना जनपदीय पंजीयन कराया ? इसका जवाब यदि हाँ में देते हैं तो हाँ की पुष्टि के लिए आवश्यक प्रपत्र दिखाने पड़ते है और यदि आप जवाब न में देते हैं तो अधिकारी आपको नोटिस थमा देता है, जिसके कुछ भी परिणाम हो जाते हैं तात्पर्य यह है कि छोटी सी गलती कभी–कभी इतनी गम्भीर परिणाम दे देती है जिनकी कभी भी हमने कल्पना नहीं की होती है, इस तरह के केस अक्सर संज्ञान में लाये जाते हैं, हम बार–बार यही प्रयास करते हैं कि हमारा चिकित्सक सजग रहे, जागरूक रहे और अपने अधिकारों के प्रति जानकार हो साथ–साथ जो उसका कर्तव्य है उससे वह विलग न हो लेकिन जब एक ही विषय पर कई तरह के विचार आते हैं तो मन में संशय पैदा होना स्वाभाविक सी बात है लेकिन संशयों से काम नही बनता है।

संशय से ऊपर उठकर वास्तविकता को पहचानना होगा और जो ठोस और आवश्यक कार्य हैं वह तो हमें करने ही होंगे, तत्कालिक लाभ के लिए किया हुआ कार्य कभी भी दीर्घजीवी नही होता है मात्र सपनों के सहारे जीवन कटता नहीं है जीवन वास्तविकता से ही गुज़ारा जा सकता है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता यह है कि सारे अधिकार होने के उपरान्त भी हम उसका पूरा आनन्द नहीं उठा पा रहे हैं।

जब हमसे अधिकारों की बात करेंगे और अपने कर्तव्यों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण रखेंगे तो सफ़लता कभी भी शतप्रतिशत नहीं मिल सकती है कार्य करने के कितने भी रास्ते क्यों न हों परन्तु यदि हमें विश्वास ही नहीं है तो अपेक्षित परिणाम कैसे मिल सकते हैं ? धीरे–धीरे समय बीतता जा रहा है लोगों की धारणायें भी बदलती जा रही हैं अपने आपको ही सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रो होम्योपैथी का समर्थक व साधक सिद्ध करने के लिए जो कार्य किये जा रहे हैं वह उपयोगी नहीं हैं।

आज कल सोशल मीडिया का ज़माना है, हर समाचार बड़ी तेज़ी के साथ इधर से उधर फैलता है, हमारा संचार माध्यम इतना सशक्त और तेज़ है कि सूचनायें पहुंचने में तनिक भी देर नहीं लगती है और लोग बाग उनपर टिप्पणी करने से बाज़ नहीं आते हैं, गलतियां कभी–कभी गम्भीर परिणाम दे जाती हैं इसलिए हम सब लोगों का नैतिक दायित्व है कि हम इस तरह की बातों से बचें जो नकारात्मक विचारों को जन्म देती हैं।

समय–समय पर परिवर्तन होते रहते हैं यदि हम इन परिवर्तनों को समझ नहीं पाते हैं तो दीर्घकालिक लाभ नहीं उठा सकते हैं, परिस्थितियां बड़ी तेज़ी से बदल रही हैं कब कहां क्या हो जाये ? यह कोई नहीं जानता ! चिकित्सकों के पंजीयन की स्वीकारिता के लिये शासन के समक्ष निरन्तर विचार विमर्श जारी है, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 पूरी अधिकारिक क्षमता के साथ के साथ इस विषय का हल शीर्घ से शीर्घ निकलवाने के लिए प्रयासशील है, साथ–साथ यह भी प्रयास किया जा रहा है कि कोई ऐसी व्यवस्था निर्मित हो जिससे कि आने वाले दिनों में हमारे किसी भी चिकित्सक को कभी भी, कहीं भी, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो।

भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा गठित अन्तर विभागीय समिति के समक्ष प्रपोज़लकर्ताओं ने देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से चिकित्सा करने वाले चिकित्सकों की एक संख्या का उल्लेख किया है जिसकी पुष्टि के लिये अन्तर विभागीय समिति ने देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के औषधि निर्माताओं एवं उनसे औषधि क्रय करने वाले चिकित्सकों/उपभोगताओं की सूची प्रस्तुत करने की अपेक्षा की है, इसी प्रकार शिक्षा प्रदान करने वाले संस्थानों की भी विस्तृत सूची मांगी गयी है।

जब प्रैक्टिस का है पूर्ण अधिकार तो काहे का डरना

चिकित्सकों को ही चिकित्सा व्यवसाय करने का अधिकार है इस तरह की बातों से बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध चिकित्सकों के मध्य भ्रम के साथ–साथ दुविधा ने भी जन्म लिया, यद्यपि जो लोग इस तरह का भ्रम फैला रहे हैं वह अपने कार्य करने का आधार 2 सितम्बर, 2013 को महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ0प्र0 को आधार बना रहे हैं, जब इस तरह की जानकारी बोर्ड के संज्ञान में आयी तो बोर्ड ने तत्काल अपने स्तर से इस मामले का हल निकाला एवं बोर्ड से सम्बद्ध सभी संस्था प्रमुखों से एक इमर्जेन्सी बैठक की, बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के चेयरमैन डा0 एम0एच0 इदरीसी ने कहा कि पंजीकृत चिकित्सक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सा विधा से चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है तो विभाग को कोई आपत्ति नहीं है, वह अधिकार पूर्वक अपना कार्य कर सकता है, ''महानिदेशालय/शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुसार इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सक जो बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 में पंजीकृत हैं उनके द्वारा अधिकार पूर्वक इलेक्ट्रो होम्योपैथी पद्धति से चिकित्सा सेवायें प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है।''

पूरे प्रदेश में पंजीयन का विषय बहुत महत्वपूर्ण है माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय का आदेश जो अवमानना वाद संख्या 820/2002 में दिनांक 28 जनवरी, 2004 को पारित किया गया था वह आज भी प्रभावी है, यद्यपि प्रदेश सरकार ने इस सम्बन्ध में जो नीति निर्धारित की थी उसमें कुछ संशोधन किये गये हैं, विगत 3 अगस्त, 2016 को जो संशोधन किये गये हैं उनके अनुसार प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने वाले हर चिकित्सक को अपना पंजीयन कराना अनिवार्य है, अभी तक सारे चिकित्सक पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में करते थे, नई व्यवस्था के अनुसार अब सिर्फ़ आधुनिक चिकित्सा पद्धति (एलोपैथी) के चिकित्सक ही मुख्य चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करेंगे, आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सा विधा के चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के यहाँ करेंगे, होम्योपैथिक चिकित्सा विधा के चिकित्सक ज़िला होम्योपैथिक अधिकारी के यहाँ आवेदन करेंगे एवं इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में अपना आवेदन करेंगे, जिस जनपद में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का चिकित्सक अपना चिकित्सा व्यवसाय कर रहा है अथवा करने का इरादा है वह भी ज़िला इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कार्यालय में अपना आवेदन जमा करेंगे जिन जनपदों में ज़िला प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति नहीं है वहां के चिकित्सक अपने जनपद से सम्बद्ध क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन करेंगे।

चिकित्सा, चिकित्सा शिक्षा एवं आयुष के सभी विभागों को पत्र लिखकर यह सूचित कर दिया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक चिकित्सकों को अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी किया जा चुका है इसलिए उनके कार्य करने में किसी भी तरह का हस्तक्षेप न किया जाये, चिकित्सकों को चाहिये कि पंजीयन के विषय को गम्भीरता से लें, आपको बताते चलें कि प्रदेश में पंजीयन की त्रिस्तरीय व्यवस्था है पहली व्यवस्था न्यायालय के निर्देशानुसार मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहां पंजीयन का आवेदन करना, दूसरी व्यवस्था के तहत केन्द्र सरकार द्वारा पारित आदेश क्लीनिकल स्टेबलिशमेन्ट एक्ट के अनुपालन में प्रदेश सरकार द्वारा यू0पी0 क्लीनिकल स्टेबलिशमेन्ट (रजिस्ट्रेशन ऐण्ड रिगुलेशन) रूल्स 2016, तीसरी व नई व्यवस्था के तहत जो संशोधन के कारण पैदा हुई है जिससे एलोपैथी और आयुष अलग – अलग पंजीयन का कार्य करेंगे।

हमारे चिकित्सकों को चाहिये कि वह इस विषय पर गम्भीर होकर इसे एक अभियान के तौर पर लें, स्वयं पंजीयन का आवेदन करें और अपने साथी चिकित्सकों को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वह पंजीयन का आवेदन अवश्य करें, यह कार्य हर चिकित्सक के हित में है, प्रैक्टिस का अधिकार तभी सफ़ल होगा जब आप हर नियमों और कानूनों का पालन करते हुए कार्यक्षेत्र में आगे बढ़ेंगे आज स्थिति यह है कि कल तक जो लोग पंजीयन का विरोध कर रहे थे और पंजीयन के मुद्दे का उपहास कर रहे थे बदलते हुए परिवेश में उन्होंने अपनी सोच में गुणात्मक परिवर्तन किया है अब वे भी स्वीकारने लगे हैं कि बिना पंजीयन के आवेदन के प्रदेश में अधिकार पूर्वक चिकित्सा व्यवसाय नहीं किया जा सकता है, लेकिन चूंकि पहले वह विरोध कर चुके हैं इसलिए आसानी से सहमति देने में झिझक महसूस कर रहे हैं सत्य तो सत्य होता है जिन नियमों और कानूनों का पालन करना है वह तो करना ही होगा यदि हम अभी भी नहीं चेते तो हमारी गणना भी उन्हीं की भाँति होने लगेगी जो अनाधिकार चेष्टा करते हुए प्रैक्टिस में लिप्त हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी अन्य गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के मध्य मज़बूती से अपना दावा प्रस्तुत कर रही है, यह सत्य है कि अभी इलेक्ट्रो होम्योपैथी को शासकीय सेवा में अवसर नहीं प्राप्त हो रहा है लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इसकी सम्भावनायें न हों, सम्भावनायें प्रतिपल बनी रहती हैं और हमें विश्वास है कि निश्चित तौर पर इलेक्ट्रो होम्योपैथ भी एक दिन शासकीय सेवा का अंग बनेंगे एवं अपनी उत्कृष्ट सेवाओं से जनता और समाज का ध्यान आकर्षित करेंगे।

सम्भवतः प्रचार की कमी के कारण लोगों तक अभी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बंधित आदेशों की जानकारी नहीं है इसलिए जानकारी के अभाव में लोग बाग तरह–तरह के तर्क वितर्क करते रहते हैं, यद्यपि प्रवेश के सम्बन्ध में अभी तक अच्छी रिपोर्ट उपलब्ध हो रही है प्रदेश में जहाँ–जहाँ भी बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 से सम्बद्ध विद्यालय व केन्द्र संचालित हो रहे हैं वहाँ से नव प्रवेशार्थियों के बारे में अच्छी सूचनायें प्राप्त हो रही हैं, ऐसा अनुमान है कि इस वर्ष प्रवेशार्थियों की संख्या में अच्छी खासी वृद्धि होगी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का परिवार और मजबूत होगा, जिन संस्थानों या केन्द्रों में अभी शिथिलता चल रही है उन संचालकों को चाहिये कि वे सकारात्मक प्रचार करें और अपने आस–पास निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन करें इन शिविरों के माध्यम से जनता की सेवा भी होती है और लोगों का यह भ्रम भी दूर होता है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, लोगों में जागरूकता पैदा करना चाहिये और यह सन्देश देना चाहिये कि निजी क्षेत्र में प्रदेश में आज सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही एक मात्र ऐसी चिकित्सा विधा है जो सम्मान पूर्वक ढंग से चिकित्सा का पूरा अधिकार देती है, जो लोग इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्सों की तुलना पैरामेडिकल कोर्सों से करते हैं उन्हें भी स्पष्ट रूप से बता दीजिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स करने के बाद छात्र स्वतन्त्र रूप से चिकित्सा व्यवसाय कर सकता है और अपने अधीन किसी भी सहायक को रख सकता है जबकि पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद छात्र सिर्फ प्रशिक्षित सहायक के रूप में ही कार्य कर सकता है, यदि कोई पैरामेडिकल छात्र स्वतन्त्र रूप से प्रैक्टिस करता है तो वह अधिकारों का अतिक्रमण करता है जबकि इलेक्ट्रो होम्योपैथ अधिकार पूर्वक प्रैक्टिस करता है।

कुछ हो या न हो आज जब छात्र अपने भविष्य के प्रति चिन्तित हैं और कैरियर के प्रति जागरूक हैं इसलिए कोर्सों का चयन बहुत ही समझबूझ कर करता है ऐसे छात्र जो चिकित्सा के क्षेत्र में अपने को आज़माना चाहते हैं उनके लिए इलेक्ट्रो होम्योपैथी कोर्स एक बेहतर विकल्प के रूप में उपलब्ध है, जीव विज्ञान के क्षेत्र में सम्भावनायें सीमित हैं जीव विज्ञान का छात्र पहले तो चिकित्सक बनना चाहता है यदि किसी कारण से वह चिकित्सक नहीं बन पाता है तभी अन्य विकल्प तलाशता है, उन विकल्पों में बायोटेक्नोलॉजी व पैरामेडिकल कोर्सेस हैं लेकिन इन्हीं में वह छात्र भी होते हैं जिनका स्वयं का व अभिभावकों का सपना होता है कि उनका अपना पाल्य डाक्टर बने ऐसे लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी ही एकमात्र सहारा है, वर्तमान में चिकित्सा जगत में सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा के कोर्स ही विधिक रूप से स्वीकार व मान्य हैं और इलेक्ट्रो होम्योपैथिक कोर्सों को कराने के लिए उत्तर प्रदेश में सिर्फ उ0प्र0 शासन द्वारा अधिकृत संस्थान है बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 इसलिए जब भी कभी आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी से सम्बन्धित कोर्सों में प्रवेश लेना चाहें तो इस बात से भलीभाँति सन्तुष्ट हो जायें कि जिस संस्थान से आप अपने पुत्र या अश्रित को कोर्स कराने जा रहे हैं उसकी वैधानिक स्थिति क्या है?

वैधानिक रू० से बोर्ड ऑफ़ इनेक्ट्रो होम्योपैथक मेडिसिन, उ0प्र0 **G.E.H.S., P.G.E.H., F.M.E.H., A.C.E.H.** तथा **C.E.H.** कोर्स संचालित किये जा रहे हैं यह सारे कोर्स फुल टाइम कोर्स हैं, जिसमें **G.E.H.S., P.G.E.H.,** तथा **C.E.H.** कोर्स वार्षिक है तथा **F.M.E.H.** व **A.C.E.H.** कोर्स सेमेस्टर आधारित हैंए **G.E.H.S.** कोर्स की प्रवेश योग्यता 10+2 **P.C.B.** है जबकि **F.M.E.H.** के लिये 10+2 किसी भी संकाय में उत्तीर्ण।

BOARD OF ELECTRO HOMOEOPATHIC MEDICINE,U.P.

8-Lal Bagh, Kamla Sharma Marg, Lucknow-226001 E-mail registrarbehmup@gmail.com

PROGRAMME FOR EXAMINATION SEPTEMBER 2022

Name of the course	27th September , 2022 Tuesday	28th September , 2022 Wednesday	29th September , 2022 Thursday	30th September , 2022 Friday
F.M.E.H. 1st. Semester	Anatomy & Physiology	Pharmacy &Philosophy	XX	XX
F.M.E.H. 2nd. Semester	Pathology	Hygiene & Health	Environmental Science	XX
F.M.E.H. 3rd. Semester	Opthalmology including E.N.T.	M.Jurisprudence & Toxicology	Dietetics	XX
F.M.E.H. Final Semester	Obstetrics & Gynaecology	Materia Medica	Practice of Medicine	XX
A.C.E.H.	Anatomy & Physiology	Pharmacy- Philosophy & Materia Medica	Pathology-Hygiene and M.Jurisprudence	Midwifery Gynics, Opthalmology & Practice of Med.

Timing → 8:00 A.M. to 11:00 A.M.

Ateeq Ahmad
Examination Incharge

बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आदेश प्राप्त, इहमाई द्वारा अनुमोदित)

8— लालबाग, कमला शर्मा मार्ग, लखनऊ—226001
प्रशा0 कार्यालय : 127/204 "एस" जूही, कानपुर—208014
website- www.behm.org.in Email: registrarbehmup@gmail.com

प्रवेश सूचना

F.M.E.H. दो वर्ष (चार सेमेस्टर) – इण्टरमीडियेट अथवा समकक्ष

G.E.H.S. चार वर्ष+(1 वर्ष इन्टर्नशिप) – 10+2 जीव विज्ञान अथवा समकक्ष

P.G.E.H. दो वर्ष – G.E.H.S अथवा चिकित्सा स्नातक

C.E.H. एक वर्ष – हाई स्कूल अथवा समकक्ष

A.C.E.H. एक सेमेस्टर – किसी भी चिकित्सा पद्धति में न्यूनतम दो वर्ष का पाठ्क्रम उत्तीर्ण (इलेक्ट्रो होम्योपैथी 30 अप्रैल, 2004 से पूर्व/पैरा मेडिकल /किसी राजकीय चिकित्सा परिषद द्वारा पंजीकृत/ सूचीकृत चिकित्सक)

विस्तृत जानकारी हेतु बोर्ड की अधिकृत संस्थाओं से सम्पर्क करें अथवा **www.behm.org.in पर log in** करें।

LIST OF AUTHORISED INSTITUTIONS

Code	Name of InstituteAddress & District	Name of Principal	Name of Manager & Mobile No.
1	Ashish Electro Homoeopathic Medical Insitute, Chajlapur, Po: I.T.I.,Door Bhash Nagar, Raibareli	Dr. P. N. Kushwah	Dr. P.N. Kushwaha , 9415177119
3	Awadh Electro Homoeopathic Medical Insitute, Shri Om Sai Dham,Indrpuri Colony,Sitapur Road, Lucknow	Dr. R. K. Kapoor	Smt. Sunita Kapoor , 8299165010
4	Indira Gandhi Electro Homoeopathic Medical Insitute, Near Bhagva Chungi, Naya Mal Godam Road, Pratapgarh	VACANT	VACANT
5	Bhagwan MahaveerElectro Homoeopathic Insitute, Pan Dareeba, Jaunpur	Dr. Pramod Kumar Maurya	Smt. Sushila Maurya , 9451162709
6	Maa sarju Devi Electro Homoeopathic Medical Insitute, 2537 - Mishrana, Lakhimpur	Dr. R. K. Sharma	R.K. Sharma , 8115545675
7	Mahoba Electro Homoeopathic Institute, Behind Block Office Subhash Nagar, MAHOBA-210427	Dr. Ajai Barsaiya	Smt. Rajni Awasthi , 9889049716
11	Chandpar Electro Homoeopathic Medical Insitute, Anjan Shaheed, Azamgarh	Dr. Mushtaq Ahmad	Dr. Iftekhar Ahmad,9415358163
13	Azad Electro Homoeopathic Medical Insitute, Kintoor, Barabanki	Dr. Habib-ur- Rahman	Dr. Habib-ur-Rehman, 8052791197
14	Fatehpur Electro Homoeopathic Medical Insitute, Deviganj, Fatehpur	VACANT	Dr. Afzal Ahmad Kazmi, 9450332981
15	Electro Homoeopathic Medical Insitute , Mahmanshah, Near Charkhamba,Shahjahan pur	Dr. Ammar-Bin-Sabir	Dr.S.A. Siddique, 9336034277
16	Shahganj Electro Homoeopathic Medical Insitute , Behind Mahila Hospiital, Dihawa Bhadi,Shahganj, Jaunpur	Dr. S. N. Rai	Dr. Rajendra Prasad, 9450088327
17	Prema Devi Electro Homoeopathic Medical Institute, Siddhatth Children Campus, Arya Nagar, Siddharth Nagar	Dr. Ved Prakash Srivastav	Dr. V.P. Srivastav 9415669294

LIST OF AUTHORISED STUDY CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
51	Dr. Adil M. Khan	Parsauni Kala,Padrauna	KUSHI NAGAR	9836131988	WhatsApp No: 7985063850
52	Dr. Pradeep Kumar Srivastava	8/366 Tube Well Colony	DEORIA	9415826491	
53	Dr. Bhoop Raj Shrivastava	120-Basheerganj	BAHRAICH	9451786214	
55	Dr. Ayaz Ahmad	Beneath K.G.S. Gramir Bank, Walidpur	MAU	9305963908	
56	Dr. Gaya Prasad	Aarti Electro Homoeopathic Study Centre, Barkhera, Kalpi	JALAUN	8874429538	
57	Dr. N. Bhushan Nigam	B.K.E.H. Study Centre, Patkana	HAMIRPUR	9889426312	
59	Dr. Mohammad Israr Khan	Araw Road, Sirsaganj	FIROZABAD	9634503421	
60	Dr. Mohd. Akhlak Khan	128- Katra Purdal Khan	ETAWAH	7417775346	
61	Dr. Shiv Kumar Pal	Prem Nagar, Dak Banglow Bye Pass Road	FIROZABAD	9634506421	
62	Dr. Pundreek Tripathi	Hameed Nagar Ward No-3, Nautanwa	MAHARAJGANJ	7398941680	mpsr31@gmail.com
63	Dr. Ram Autar Kushwaha	Kushwaha Electro Homoeopathic Clinic & Study centre	KANPUR	9793264649	

LIST OF AUTHORISED STUDY/GUIDENCE CENTRES OTHER STATE

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
81	Dr. Devendra Singh	374/4 Shahid Bhagat Singh Colony, Karawal Nagar	DELHI-110090	9818120565	9873609565
82	Dr. Pankaj Kumar	Kaithi P.S. Chautham	KHAGARIA-851201	7549417934	

LIST OF AUTHORISED EXAMINATION CENTRES

Code	Head of Centre	Address	District	Mobile No	E-mail
91	Dr. P. K. Ragahav	Khurja	BULAND SHAHAR	9837897021	
92	Dr. S.K. Saxena	Parker College Road	MORADABAD	8171869605	
93	Electro Homoeopathic Exam	Registrar B.E.H.M. U.P. Kanpur Campus	KANPUR	0512-2970704	
95	Dr. Vikas	303/6 Gyan Nagar, Purkhas Road	SONIPAT-131001	9639300426	7302653934

Registrar

बी0ई0एच0एम0 के लिए डा0 अतीक अहमद द्वारा गजट प्रेस 126 टी/22 'ए' रामलाल का तालाब, जूही, कानपुर—208014 से मुद्रित एवं मिथलेश कुमार मिश्रा द्वारा कम्प्यूटराइज्ड करा कर 9/1 पीली कालोनी, जूही, कानपुर—208014 से प्रकाशित किया।